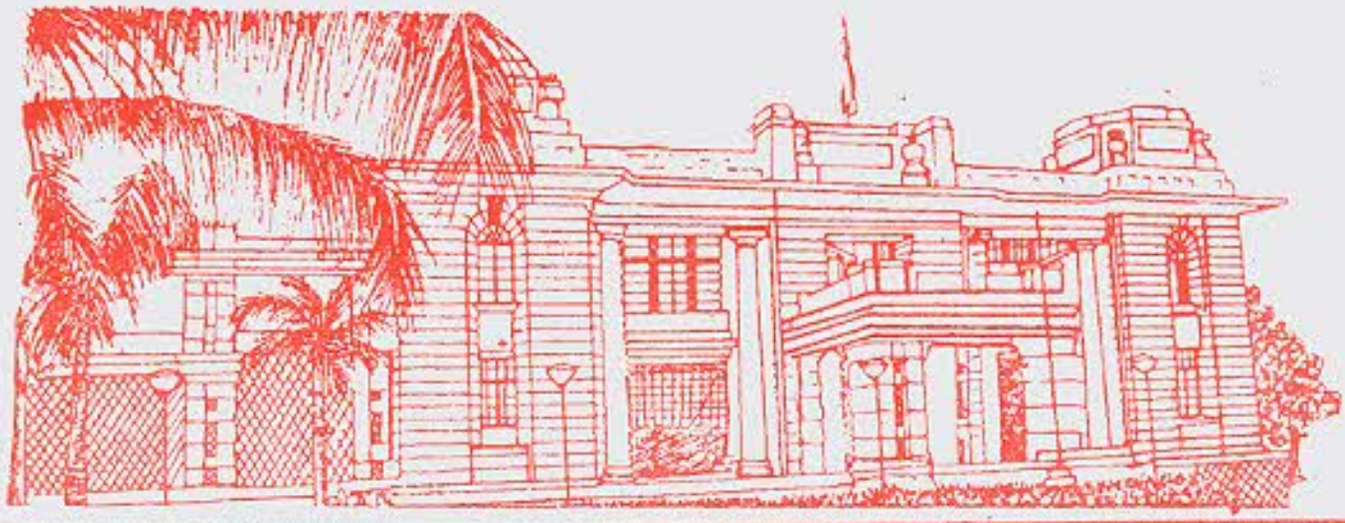

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

भीम राव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत संचालित दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के प्रशासनिक पदाधिकारी ने गलत ढंग से एम.फिल कोर्स की शुरूआत की। नामांकन कराने के नाम पर 39,000/- रुपए प्रति छात्र लेकर लगभग 10 करोड़ रुपए का गबन किया। प्रशासनिक पदाधिकारी ने बी.एड. नामांकन जांच परीक्षा में ऑब्जर्वर के रूप में स्वयं उपस्थित रहते हुए अपने सहोदर बहन को दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा शामिल कराया। इस पर गठित जांच समिति के प्रतिवेदन पर अब तक कार्रवाई लंबित है। वर्ष 2013 के प्रथम खंड के परीक्षा प्रपत्र के लिए ली गई राशि का गबन करने पर लंगट सिंह कॉलेज में हुई जांच के आधार पर उनपर दर्ज प्राथमिकी सं.- 19/2013 आज तक लंबित है। सैकड़ों स्थानों पर अध्ययन केन्द्र संचालित की गई, जांच प्रतिवेदन आज तक अप्राप्त है। इनके द्वारा दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के भवन निर्माण के नाम पर निकासी किए गए लगभग 7 करोड़ का गलत विपत्र जमाकर राशि गबन कर लिया गया। टॉपर घोटाले के मुख्य अभियुक्त के महाविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा निदेशालय का स्टडी सेंटर नियम विरूद्ध बनाया गया, इसकी सत्यता की जांच आज तक नहीं की गई। उक्त विश्वविद्यालय के सक्षम पदाधिकारी की मिलीभगत से बिना निविदा प्रकाशित किए हुए 7 करोड़ का पाठ्यक्रम सामग्रियां नोएडा के विक्रेता से खरीदकर करोड़ो रुपए गबन किया गया। इसकी जांच आज तक नहीं की गई। इनके विरूद्ध राज्यपाल, बिहार द्वारा गठित बी.बी.लाल उच्चस्तरीय जांच समिति की प्रतिवेदन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। राज्यपाल सचिवालय, बिहार के पत्रांक- बी.यू.- 31/2016-2601 दिनांक- 10.11.2016 द्वारा उक्त प्रशासनिक पदाधिकारी, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के विरूद्ध गठित आरोप पर बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय से मांगी गई विस्तृत तथ्यात्मक प्रतिवेदन आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अत: उक्त पदाधिकारी के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- राजकिशोर सिंह कुशवाहा,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 50/2017 - 301 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 17.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 07.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 17.02.2017
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

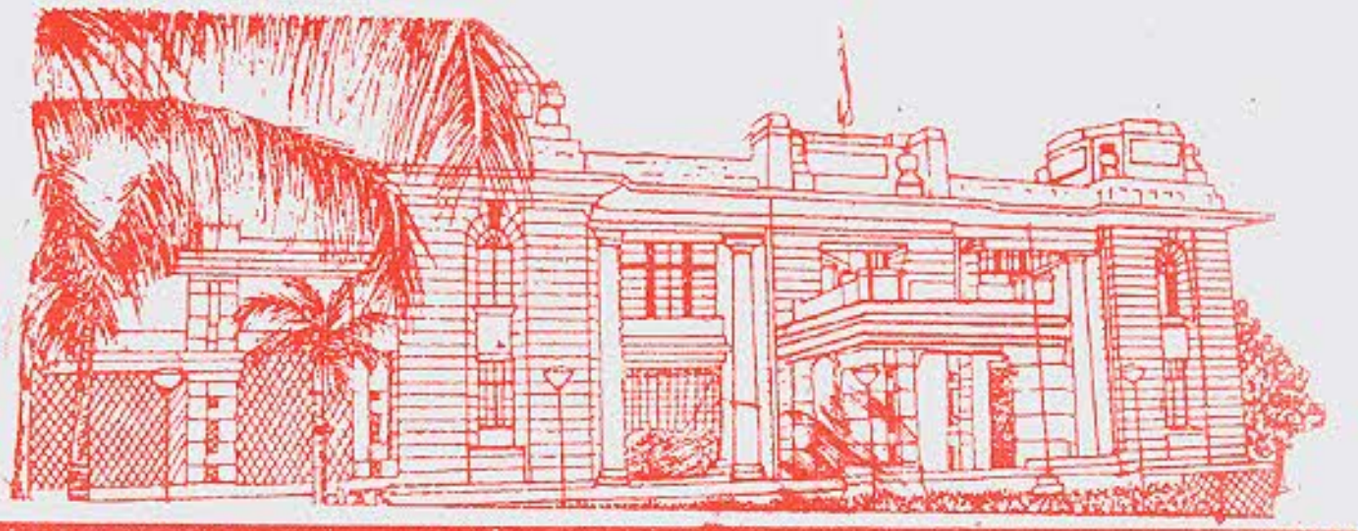

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने आरा में दिनांक- 18 अगस्त, 2015 को क लाख 25 हजार करोड़ की घोषणा विशेष पैकेज के रूप में की थी जिसमें कृषि क्षेत्र में 3094.00 करोड़, शिक्षा के लिए 1000.00 करोड़, कौशल विकास के लिए 1550.00 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 600.00 करोड़, ऊर्जा के लिए 16130.00 करोड़, ग्रामीण सड़क 16130.00 करोड़, राष्ट्रीय उच्च पथ -54714.00 करोड़, रेलवे 8870.00 करोड़, हवाई अड्डा 2700.00 करोड़, डिजिटल बिहार 449.00 करोड़, पेट्रोलियम गैस 21476.00 करोड़, पर्यटन 600.00 करोड़ शामिल हैं। केन्द्र सरकार द्वारा पारित केन्द्रीय बजट 2015-16 में बिहार को विशेष पैकेज के लिए न तो बजटिय प्रावधान किया गया और न ही वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासकीय स्तर पर विभागीय समिति का गठन किया गया।

अत: ध्यानाकर्षण के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित पैकेज में विभागवार अबतक प्राप्त राशि एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति पर सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- नीरज कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 51/2017 - 271 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 15.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ वित्त विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 07.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

15.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

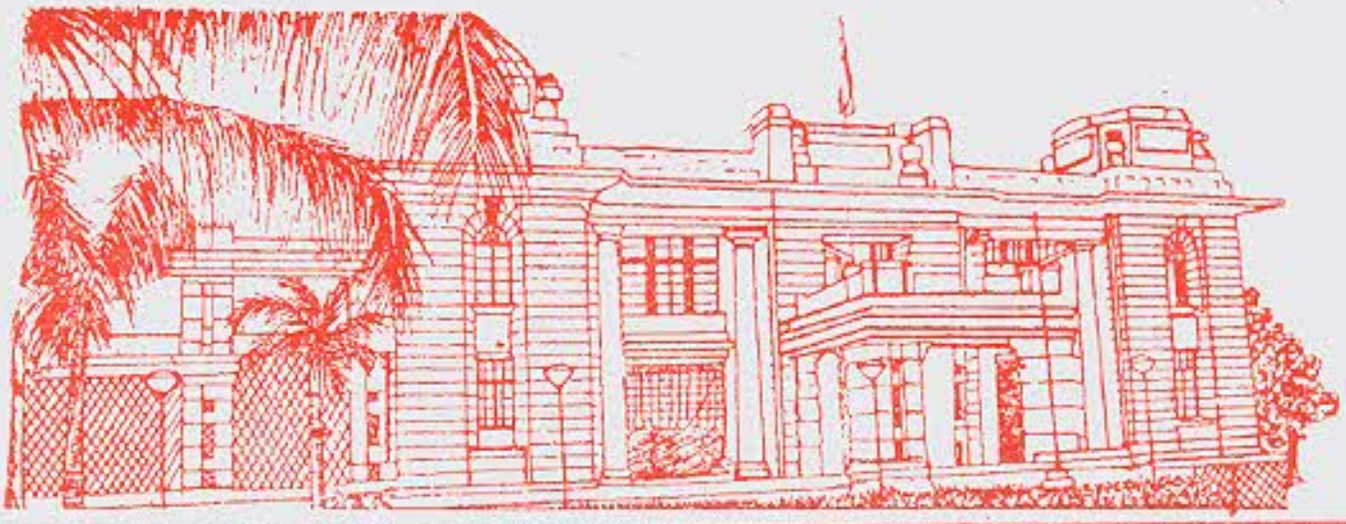

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना शहर स्थित भूतनाथ रोड पुराने और नए बाइपास रोड को जोड़ता है। ले-आउट प्लान के अनुसार भूतनाथ रोड की चौडाई 80 फीट, जिसमें 25 फीट मात्र में पिचिंग किया गया है सड़क के दोनों किनारे शेष बचे जमीन को अतिक्रमित कर लिया गया है। यदि इस सड़क को अतिक्रमण मुक्त करा कर 4 लेन सड़क का निर्माण कराया जाता है तो इस सड़क शहर को राष्ट्रीय राज्य मार्ग से जोड़ने वाली सबसे बड़ी सड़क होगी, जिसके लिए न तो सरकार को जमीन अधिग्रहण करना पड़ेगा और न किसी प्रकार का मुआवजा ही देना पड़ेगा। इस सड़क के बनने से शहर की कनेक्टीभिटी बढ़ेगी एवं जाम की समस्या भी समाप्त हो जाएगी।

अत: मैं भूतनाथ रोड को अतिक्रमण से मुक्त कराकर उसे फोर लेन सड़क बनाने के संबंध में सदन में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- केदारनाथ पाण्डेय,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 52/2017 - 274 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 15.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पथ निर्माण विभाग, बिहार/ नगर विकास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 07.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 15.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।